



दिनांक  
14.03.2026

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। पक्षकारान अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मामलें में परिवादी पूर्व में मय अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा होना जाहीर किया कि उसने अभियुक्त से चेक पेटे राशी प्राप्त करली है। प्रकरण में अब वह कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। वह प्रकरण को विद्धा करना चाहता है।

चूंकि प्रकरण में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा हो गया है। परिवादी द्वारा अभियुक्त से चेक पेटे राशी प्राप्त करना जाहिर किया गया है। अब दोनो के मध्य चेक संबंधित कोई विवाद नहीं रहा है। परिवादी ने प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत में निर्णित किये जाने का निवेदन किया है। अतः पत्रावली में अब कोई कार्यवाही किया जाना शेष नहीं है। अभियुक्त को आरोपित अपराध से ~~मुक्त~~ / दोष मुक्त किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखील दफ्तर हो। सांख्यिकी दृष्टि से पत्रावली आज ही सी आई एस में फैसल कर आदेश अपलोड किया जावे।

  
सदस्य  
राष्ट्रीय लोक अदालत

  
अध्यक्ष  
राष्ट्रीय लोक अदालत